न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर0ए0एस0

राजस्व आवेदन संख्या 77 /2021

प्रार्थी :–

1. पूनमाराम पुत्र हिमताराम जाति माली निवासी महिलावास
2. चमनाराम पुत्र हिमताराम जाति माली निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला बाडमेर

विप्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः–

1. **श्री खीमाराम आकबल अधिवक्ता प्रार्थी**

आदेश

दिनांकः–06.08.2021

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व की धारा 131–136 के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया गया प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खुद काश्त खातेदारी भूमि सरहद मौजा ग्राम महिलावास पटवार मण्डल महिलावास में खेत खसरा संख्या 349,358 व 359 रकबा क्रमशः 4.2168,6.2807 व 0.2995 हैक्टयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 349,358 व 359 के मूल ग्राम मोकलसर के सम्वत् 2011 से 2014 की जमाबंदी में मिसरिया,छोगा,मोमता पिता नाथा हिस्सा 1/3, खीमा पुत्र वरदा,घेवरिया पुत्र रता ,पूनमा,चमना पुत्र हिमता हिस्सा 1/3 व प्रभू कपूरा पुत्र चन्दा 1/3 हिस्सा दर्ज है उक्त खातेदारों में खीमा पुत्र वरदा व घेवरिया पुत्र रता,पूनमा चमना पुत्र हिमता के हिस्सों की स्थिति स्पष्ट नही होने के कारण उक्त खेत खसरा नम्बर के सम्बन्ध में ग्राम महिलावास के सम्वत् 2071 से 2074 की जमाबन्दी में चमना पुत्र हिमता हिस्सा 1/18 व पूनमा पुत्र हिमता 1/18 हिस्सा दर्ज है जबकि वंशावली व सजरे के अनुसार ग्राम महिलावास की खेत खसरा संख्या 349,358 व 359 में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/18,1/18 दर्ज है जबकि सही 1/12 व 1/12 हिस्सा होना चाहिये जो नहीं है। ग्राम महिलावास में आये उपरोक्त खसरान की खातेदारी में प्रार्थीगण का हिस्सा सहवन से गलत दर्ज हो गया जिससे प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित खतोदारी के खेतो के सम्बन्धित हिस्सा सही नही होने से कई समस्याओं का सामना करना पड रहा हैं अतः वादग्रस्त आराजी में गलत दर्ज हिस्से को दुरूस्त किये जाने बाबत उक्त

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:41:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

विप्रार्थी का नोटिस तामिल सुदा प्राप्त बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त ।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई ।

हमने पत्रावली का अवलोकन व गहनता से मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात व तहसीलदार सिवाना से प्राप्त रिपोर्ट का गंभीरता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजात के अध्ययन व तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट भू.अ./2021/1954 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा बताया गया है कि मौजा महिलावास के खेत खसरा संख्या 349,358 व 359 के मूल ग्राम मोकलसर के सवंत् 2011–2014 कि जमाबंदी में रहे खातेदार मिसरिया,छोगा मोमता पि. नाथा 1/3,खीमा पुत्र वरदा घेवरिया पुत्र रता,पूनमा चमना पुत्र हिमता हिस्सा 1/3 ,प्रभू कपूरा पुत्र चन्दा हिस्सा 1/3 दर्ज है। उक्त खातेदारो मे से खीमा पुत्र वरदा व घवरीया पुत्र रता पूनमा चमना पुत्र हिमता के हिस्सो की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से उक्त खातेदारी की वृक्ष वंशावली तैयार की गई। वृक्ष वंशावली व सजरे के अनुसार ग्राम महिलावास के वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 349,358 व 359 के खातेदार चमना पुत्र हिमता का हिस्सा 1/18 के स्थान पर 1/12, पूनमा पुत्र हिमता का हिस्सा 1/18 के स्थान पर 1/12,चूना पुत्र खीमा का हिस्सा 1/9 के स्थान पर 1/12,जवारा पुत्र घेवराराम का हिस्सा 1/27 के स्थान पर 1/36, साकलचन्द पुत्र घेवराराम का हिस्सा 1/27 के स्थान पर 1/36, लीला पत्नी बादरमल का हिस्सा 1/360 के स्थान पर 1/108, रमेश कुमार पुत्र बादरमल का हिस्सा 37/2160 के स्थान पर 1/108,नारायण पुत्र बादरमल का हिस्सा 37/2160 के स्थान पर 1/108, जमाबंदी में दर्ज शेष खातेदार का हिस्सा वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज हिस्सा अनुसार रखते हुये हिस्सा दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार सिवाना द्वारा उक्तानुसार हिस्सा दुरूस्त करने की अनुशंषा भी की गई है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी संवत् 2071–2074 में सरहद मौजा महिलावास [illegible]र मण्डल महिलावसा के खेत खसरा संख्या 349,358 व 359 रकबा [illegible]/ 4.2168,6.2807 व 0.2995 हैक्टयर भूमि में दर्ज खातेदार चमना पुत्र हिमता का हिस्सा 1/18 के स्थान पर 1/12, पूनमा पुत्र हिमता का हिस्सा 1/18 के स्थान पर 1/12,चूना पुत्र खीमा का हिस्सा 1/9 के स्थान पर 1/12,जवारा पुत्र घेवराराम का हिस्सा 1/27 के स्थान पर 1/36, साकलचन्द पुत्र घेवराराम का हिस्सा 1/27 के स्थान पर 1/36, लीला पत्नी बादरमल का हिस्सा 1/360 के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Ghouhan
Date: 2021.11.14 17:41:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

1/108, रमेश कुमार पुत्र बादरमल का हिस्सा 37/2160 के स्थान पर 1/108,नारायण पुत्र बादरमल का हिस्सा 37/2160 के स्थान पर 1/108, जमाबंदी में दर्ज शेष खातेदार का हिस्सा वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज पूर्ववत अनुसार रखते रखते हुये हिस्सा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सिवाना आदेशानसार राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद करे। पत्रावली फैसल सुमार हो। खर्चो पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 06.08.2021 को खुले न्यायालय में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:41:04 IST
Reason: SelfAttested